

पंजीकृत डाक द्वारा

पत्रावली संख्या - III-159

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ०प्र०)

संख्या नोएडा/वरि०न०नि० /III-159 /.....366

दिनांक: 14/3/11

सेवा में,

**M/s Assotech Ltd.,
A-354, Sector - 19,
Noida**

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 2.06.2010 के संदर्भ में आप द्वारा संशोधन सहित प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण की भूखण्ड संख्या डी - 003ए, सैक्टर -44, नोएडा पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है -

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढाव(प्रोजेक्टेड) न हों।
6. बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेगप अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेंगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।

13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नौएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति मात्र पर्यावरण सम्बन्धित आनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र करने के पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं नौएडा भवन विनियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलग्न है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें।

- भूखण्ड का क्षेत्रफल 14331.76 वर्ग मी०
 - अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 30% 4299.53 वर्ग मी०
 - अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 1.995 28591.86 वर्ग मी०
- क्रय योग्य एफ.ए.आर. के साथ

विभिन्न तलों पर किये गये प्रस्तावित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	अनुमन्य क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	पूर्व स्वीकृत क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	प्रस्तावित क्षेत्रफल एफ.ए.आर. (वर्गमी०)
भूतल	4299.528 शेष एफ०ए०आर०	442.137	774.98
प्रथम तल		882.379	1417.69
द्वितीय तल		668.014	1438.61
तृतीय तल		668.014	798.10
चतुर्थ तल		668.014	798.10
पंचम तल		668.014	798.10
छटवां तल		668.014	798.10
सातवां तल		668.014	798.10
आठवां तल		668.014	798.10
नौवां तल		668.014	798.10
दसवां तल		668.014	798.10
ग्यारहवां तल		668.014	798.10

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

बारवां तल		668.014	798.10
तेरहवां तल		668.014	798.10
चौदहवां तल		668.014	798.10
पन्द्रहवां तल		668.014	798.10
सोलहवां तल		668.014	798.10
सत्रहवां तल		668.014	798.10
अट्ठारहवां तल		668.014	798.10
उन्नीसवां तल		668.014	798.10
बीसवां तल		668.014	785.47
इक्कीसवां तल		668.014	785.47
बाइसवां तल		668.014	785.47
तेइसवां तल		668.014	785.47
चौबीसवां तल		668.014	785.47
पच्चीसवां तल		668.014	785.47
छब्बीसवां तल		668.014	785.47
सत्ताइसवां तल		668.014	785.47
अठ्ठाइसवां तल		668.014	785.47
उन्नतीसवां तल		668.014	785.47
तीसवां तल		668.014	785.47
इक्कत्तीसवां तल		499.65	731.53
बत्तीसवां तल		99.318	628.76
तेतीसवां तल			471.97
चौतीसवां तल			471.97
पैतीसवां तल			435.05
कुल एफ.ए.आर.		21296.467	28578.43
तहखाना	सेटबैक छोड़ने के	5676.415	11794.09
तहखाना	पश्चात शेष क्षेत्रफल (पार्किंग/सर्विसेज हेतु)		

स्टिल्ट		445.22	395.33
सेवा क्षेत्रफल			7474.14
कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल		27418.10	
(तहखाना, स्टिल्ट एवं सेवा सहित)	= 28578.43 + 11794.09 + 395.33 + 7474.14		
	=-48178.84 वर्ग मीटर		

प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल (सेवा सहित) = 774.98 वर्ग मी०

Map for proposed Building in per Bye
Laws. Submitted for approval case.

[Signature]
Asstt.

[Signature]
Asstt. Archt.

[Signature]
Architect

नाम. *[Signature]*
पद. *[Signature]*
नोएडा

11/3/11

प्रतिलिपि:

१. सहा० महाप्रबन्धक (ग्रुप हाऊसिंग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
२. सेक्रेट्री
स्टेट लेवल एन्वारमेन्ट इम्पेक्ट एसिसमेंट अथोरिटी, उ०प्र०
डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरमेन्ट,
डॉ० भीमराव अम्बेडकर पर्यावरण परिसर, विनीत खण्ड - १,
गोमती नगर, लखनऊ - २२६०१०, उ०प्र०
को सादर सूचनार्थ ।